मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 55

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- श्री [illegible] सहायक कलक्टर

[illegible] उनवान बनाम [illegible]

दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नम्बर :- 23/2018

निर्णय दिनांक :- 11/05/18

वादी की ओर से श्री [illegible] की व प्रतिवादी की ओर से [illegible] की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11/5/2018 को ..... (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, ... के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता नं. 95 के आराजी सं.नं. 649 रकबा 0.3600 है., खाता नं. 96 के आराजी सं.नं. 704, 760, 761, 762, 763, 764, 768, 770, 772 रकबा 0.9100 है. वाके 1/6 हिस्से, तथा [illegible] खाता नं. [illegible] के रकबा [illegible] है. के [illegible] के [illegible] के [illegible] किया जाता है)

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/05/2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( )

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर,.....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner